1/9/25 वकील महोदय द्वारा पत्रावली पर बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना स्वीकार करने हेतु कोई विधिक स्वीकार योग्य कारण प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। इस कारण प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली ~~[illegible]~~ धारा 116 ना0 बि0 अ0 विवाद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:34:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)